

११

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति -2024/2007- ७० (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/04/2014

निदेशक भू-अर्जन एवं पुर्नवास के पत्रांक-434 दिनांक-21.03.2014 के आलोक में श्री अशोक कुमार पाल, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना, मुजफ्फरपुर, अतिरिक्त प्रभार गंडक योजना, छपरा, को भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा-3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), वैशाली (हाजीपुर), शिवहर, सारण, (छपरा), सीवान एवं गोपालगंज के रूप में भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16 (6), 17, 19 (2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 तथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5 (ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बिनोद कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति -2031/2008- ७० (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/04/2014

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर मगध प्रमंडल, गया सारण प्रमंडल, छपरा/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, पटना/निदेशक भू-अर्जन एवं पुर्नवास जल संसाधन विभाग/सम्बन्धित समाहर्ता/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिनोद कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

संख्या-3/स्था0 रा0 भू0 भू0 वि0 शक्ति -2031/2008- ७० (3)/रा0, पटना-15, दिनांक-02/04/2014

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(बिनोद कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव